शोध मंथन Vol. XIII No.IV Oct.-Dec. 2022 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.783 (SJIF)

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर नगर के लकड़ी व्यापार की आर्थिक तथा पर्यावरणीय दशाओं का अध्ययन

प्राप्तिः 02.11.2022
स्वीकृतः 24.12.2022

81

डॉ० सिराज अहमद
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, भूगोल विभाग
राजकीय महिला महाविद्यालय, जसपुर, उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)
ईमेलः *amansirajahmad@gmail.com*

सारांश

किसी भी देश या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के विकास में वहाँ के उद्योगों या व्यापार संरचना का विशेष प्रभाव पड़ता है। जितने अधिक तथा महत्वपूर्ण उद्योग वहाँ होंगे उतना ही अधिक विकास होगा। इसी प्रकार लकड़ी उद्योग, वनों पर आधारित ऐसा उद्योग है, जो मनुष्यों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ–साथ कई सहायक व्यवसायों तथा उद्योगों को जन्म देता है। इसलिए इस उद्योग को सूक्ष्म ढंग से समझने और उस पर मंथन करने की आवश्यकता है। इस उद्योग की सकारात्मक परिस्थितियों तथा लाभों के साथ–साथ इस व्यवसाय तथा उद्योग से होने वाली हानियों तथा विभिन्न पक्षों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का अध्ययन भी अति आवश्यक होगा। लकड़ी व्यापार से सम्बन्धित व्यवसाय जैसे ट्रक व्यवसाय, आरा मशीन व्यवसाय, मजदूरी व्यवसाय, ढूला व्यवसाय, डोर इन्डस्ट्री, प्लाईवुड इन्डस्ट्री, कांटा व्यवसाय, फर्नीचर उद्योग, बाँस व्यवसाय, खैरात मशीन व्यवसाय, ठेला व्यवसाय, हार्डवेयर व्यवसाय, पेन्ट एवं रंगरोगन व्यवसाय, स्पेयरपार्टस व्यवसाय, बढ़ई व्यवसाय आदि को भी अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इन सब व्यवसायों की लकड़ी व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अथवा ये व्यवसाय लकड़ी व्यापार पर आधारित होते हैं।

मुख्य बिन्दु

आरा मिल, नीलाम, साझेदारी व्यवसाय, पर्यावरण प्रदूषण।

प्रस्तावना

वर्तमान अध्ययन में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर नगर के लकड़ी व्यापार की दशाओं का अध्ययन, इस व्यापार की सकारात्मक तथा विरोधी परिस्थितियों के विवेचन करने का प्रयास किया गया है। जसपुर ऐसा नगर है जो कई वर्षों से लकड़ी व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है, जो ना केवल उत्तराखंड बल्कि भारत और एशिया में अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ लगभग प्रत्येक प्रकार की लकड़ी उपलब्ध हो जाती है। जिसमें इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी तथा स्लीपर से लेकर अन्य कार्यों के लिए लकड़ी प्राप्त हो जाती है।

उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलो मीटर है, इसमें विभिन्न वर्गों के अंतर्गत वनों का क्षेत्रफल 37,999.6 वर्ग किलो मीटर है। जो कि काफी अच्छा है। 2016–17 के अनुसार वनों के

कुल क्षेत्रफल का भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष प्रतिशत 71.05% है। वन विभाग के अधीन वन क्षेत्र 25,86,318 वर्ग किलो मीटर है। जबकि वन पंचायतों के अधीन पंचायती वन 12,089 हैं। इतने अधिक प्रतिशत वन होने के कारण उत्तराखंड के विभिन्न भागों में लकड़ी व्यापार का काफी विकास हुआ है। उत्तराखंड में वन विभाग के 17 सर्किल, 44 डिवीजन, 284 रेंज तथा 1,569 बीट हैं। जो किसी न किसी रूप में इस व्यापार में सहायता करते हैं।

जसपुर के लकड़ी व्यापार पर दृष्टिपात करें तो यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी लकड़ी मन्डियों में से एक है। यहाँ वर्तमान में लकड़ी की 325 पंजीकृत तथा 400 गैर पंजीकृत दुकानें अथवा टाल हैं। लकड़ी व्यापारियों के लिए यहाँ व्यापार मंडल एसोसियेशन भी विद्यमान है। लकड़ी व्यापार मंडल एसोसियेशन में विभिन्न पदाधिकारी तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष होते हैं, जिनका कार्य लकड़ी व्यापारियों के हितों की रक्षा करना तथा लकड़ी व्यापारियों एवं सरकार तथा शासन के मध्य समन्वय स्थापित करना होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न करों को कम या समाप्त करवाने के लिए प्रयास करना भी है।

उद्देश्य

1. जसपुर के लकड़ी व्यापार का जसपुर की आर्थिकी में योगदान का अध्ययन।
2. लकड़ी व्यापार से जुड़े सहायक तथा इस पर आश्रित व्यवसायों का अध्ययन।
3. लकड़ी व्यापार के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का अध्ययन।
4. लकड़ी व्यापार के अलग–अलग आय वर्गों के लोगों के सामाजिक जीवन का विवेचन।
5. लकड़ी व्यापार का निकटवर्ती वन क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका अध्ययन करना।

लकड़ी व्यापार

लकड़ी व्यवसाय में श्रमिकों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ट्रकों और ट्रेक्टर ट्रालियों से माल उतारने और चढ़ाने के अतिरिक्त आरा मिलों पर भी श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। स्थानीय रूप में हाथ ठेलों की भी आवश्यकता पड़ती है। इन्हें तोलने के लिए धर्मकांटों की भी आवश्यकता होती है। साल, शीशम, सागौन के अतिरिक्त वनों तथा स्थानीय कृषकों से प्राप्त कूकाट की लकड़ी को भी प्रयोग में लाया जाता है। जिनमें जामुन, सेन, धावड़ी, सिरस, तुन, सेमल तथा आम की लकड़ियाँ हैं। कुछ कृषक पॉपुलर और यूकेलिप्टस की लकड़ी काभी उत्पादन करते हैं। ये लकड़ियाँ फर्नीचर उद्योग और प्लाईवुड उद्योग में प्रयोग की जाती हैं, जिनसे मेज, कुर्सियां, बेड, बच्चों के रेडू, लकड़ी के छोटे मंदिर तथा अलमारियाँ बनायीं जाती हैं। वर्तमान में फर्नीचर उद्योग में भी काफी लोगों के आ जाने से प्रतियोगिता बढ़ गयी है, जिससे लाभ कम हो गए हैं। इसके अतिरिक्त विद्युत दरें और टैक्स वृद्धि के कारण भी इस उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

नीलामी प्रक्रिया

यहाँ के लकड़ी व्यापारी उत्तराखंड के कई शहरों से वन विभाग की लकड़ी लेने जाते हैं। वन विभाग साल, शीशम तथा सागौन की लकड़ियों का नीलाम करता है। जिसमें पंजीकृत व्यापारी नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने जाते हैं। उत्तराखंड के टनकपुर, कालाढूंगी, रामनगर, पतरामपुर तथा देहरादून नगरों में नीलामी प्रक्रिया होती है। जहाँ अलग–अलग गुणवत्ता की लकड़ियों की बोली लगती है, इसमें सबसे अधिक मूल्य की बोली लगाने वाले व्यापारी या व्यापारी समूह लकड़ी का सौदा प्राप्त कर लेता है। इन नीलामी प्रक्रियाओं में देश के विभिन्न राज्यों के व्यापारी प्रतिभाग

करने आते हैं, लेकिन सबसे अधिक व्यापारी जसपुर नगर से ही जाते हैं। यहाँ सीधी और अच्छी गुणवत्ता की लकड़ी की नीलामी राशि अधिक रखी जाती है, जबकि टेढ़ी और कम गुणवत्ता की लकड़ियों की कीमत कम रखी जाती है। देहरादून विक्रय प्रभाग में हरबर्टपुर, सेलाकुई, चन्द्रबदनी, बीबी वाला, रायवाला, छिद्दरवाला तथा कोटद्वार प्रभाग में पनियाली, चिड़ियापुर, अंजनी चौड, आसफ नगर तथा मंगलोर, रामनगर विक्रय प्रभाग मे कालाढूंगी, आमडंडा, चांदनी, चूनाखान, पतरामपुर तथा हरियावाला, हल्द्वानी विक्रय प्रभाग में हल्द्वानी और लाल कुँआ तथा टनकपुर विक्रय प्रभाग में टनकपुर, खटीमा और नौगांव में नीलामी हर माह में 2 बार होती है। इन डिपो में चौड़ी पत्ती, शंकुधारी, जलौनी तथा जड़ लकड़ियों की नीलाम होती है। जिनमें देवदार, कैल, फर, चीड़, साल, शीशम, सागौन, यूकेलिप्टस, खैर, कूकाट तथा कोमल काष्ठ आदि प्रमुख हैं। प्रायः यहाँ लकड़ी क्रय के लिए बोली लगाने पर विवाद की स्थितियांभी बन जाती हैं, जिससे व्यापारियों के आपसी सम्बन्ध भी खराब हो जाते हैं। कई बार आपसी प्रतियोगिता के कारण किसी लाट (लकड़ियों का समूह) की बोली लगाने में, लोग प्रायः अधिक बोली लगाते जाते हैं और अधिक कीमत पर लाट खरीद लेते हैं। जो बाद में कम लाभ या हानि का कारण बनता है। वहाँ से 2'' 11'', 3'' 11'', 4'' 11'', 5'' 11'' साइज की लकड़ी क्रय की जाती हैं। 5'' 11'' साइज की लकड़ी को ओवर साइज माना जाता है। इसका क्रय कम किया जाता है। नीलाम में प्रतिभाग करने के लिए पहले गेट मनी जमा करनी पड़ती है, जो वर्तमान में लगभग 12000रु० है। साल की लकड़ी की गुणवत्ता के आधार पर 4 ग्रेड निर्धारित हैं। सागौन के भी 4 ग्रेड निर्धारित हैं। वहाँ से लकड़ी क्रय करने के बाद जसपुर में आरा मिलों पर इनका चिरान करवाकर बाजू बर्गा में परिवर्तित किया जाता है, जिससे दरवाजों और विंडो की चौखटे निर्मित होती हैं। इनसे 4'', 5'', 6'', 7'', 8'' तथा 9'' के बाजूबर्गे तैयार किये जाते हैं। 10'' के भी तैयार किये जाते हैं, पर इस साइज का उपयोग कम होने के कारण इनको कम मात्रा में बनाया जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ का माल सस्ता होने के कारण व्यापारी वहाँ से अधिक क्रय करने लगे हैं। उड़ीसा से भी माल का क्रय किया जाता है, पर वहाँ अपेक्षाकृत महंगा मिलता है। वैसे तो जसपुर नगर से लकड़ी देश के समस्त भागों में विक्रय हेतु भेजी जाती है, लेकिन विशेष रूप से हरियाणा के यमुना नगर, उत्तर प्रदेश के हापुड़, गाजियाबाद, सहारनपुर, लखनऊ, मेरठ, बिजनौर, रूड़की, मुरादाबाद तथा बरेली इत्यादि स्थानों को भेजी जाती है। मुख्य रूप से साल, बीजासाल, सफेदा, सेमल, शीशम तथा सागौन की लकड़ी। कुछ मात्रा में पॉपुलर, आम, जामुन, अखरोट, तुन तथा यूकेलिप्टस की लकड़ियां भी भेजी जाती हैं। जलाऊ लकड़ी का विक्रय स्थानीय भागों में किया जाता है।

लकड़ी व्यापार का साझेदारी स्वरुप

लकड़ी व्यापार प्रायः साझेदारियों में किया जाता है। कुछ संख्या में जैसे 2 से लेकर 4 या 5 व्यक्ति अपनी फर्म बना लेते हैं। इनमें प्राथमिकता सगे सम्बन्धियों तथा मित्रों को दी जाती है। इनमें अलग–अलग प्रतिशत की लाभ साझेदारियां होती हैं। जिन्हें स्थानीय भाषा में 'पत्ती' कहा जाता है। इन साझेदारियों में कई बार व्यक्तियों की व्यवसाय क्षमताओं को प्रमुखता दी जाती है, और उनके पास धन कम भी हो तो उनको साझेदार बना लिया जाता है। इन साझेदारों को अलग–अलग कार्य आबंटित किये जाते हैं। जैसे कोई नीलाम प्रकिया में भाग लेने जाता है, तो कोई आरा मिल पर लकड़ियों का चिरान कार्य कराता है, तो कोई कृषकों से माल खरीदारी हेतु जाता है। शिक्षित साझेदार कागजी तथा कार्यालय सम्बन्धित कार्यवाहियाँ सम्पादित कर लेते हैं। इस प्रकार 4–5 लोगों

का संगठन अलग–अलग कार्यो को आसानी से सम्पादित कर लेता है। इस प्रकार ये अच्छा लाभ कमा लेते हैं। लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी परिलक्षित होते हैं। अधिक लोग कई बार लड़ाई–झगड़ों और मनमुटाव का कारण भी बनते हैं। जसपुर में अधिकांश रूप में मुस्लिम लोग ही लकड़ी व्यापार में संलग्न हैं, जिनमें अधिकांश लोग अशिक्षित हैं। जो ठीक प्रकार से हिसाब–किताब न कर पाने के कारण लड़ाई–झगड़े कर लेते हैं, और उनके व्यवसाय को हानि पहुँचती है। और इस प्रकार उनकी आपसी रिश्तेदारियों और मित्रता में खटास आ जाती है।

लकड़ी व्यापार से सम्बन्धित व्यवसाय तथा रोजगार

लकड़ी व्यापार के अलग–अलग वर्गों का अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि इस व्यवसाय में अत्यधिक धनी वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक के लोग संलग्न हैं। जिन लोगों के पास अत्यधिक धन है, वे लोग लकड़ी की बड़े स्तर पर ठेकेदारी करते हैं। वे लोग अपनी फर्मों का निर्माण करते हैं, जिनमें वे व्यक्तिगत रूप से अकेले या दो तीन लोग मिलकर काम करते हैं। वे लोग वन निगम की नीलामी पर जाकर भी साल, शीशम तथा सागौन का माल क्रय करके लाते हैं। इसके अतिरिक्त वे अपनी बड़ी–बड़ी टालें तथा दुकानें खोलते हैं। कुछ लोग आरा मिलें स्थापित कर लेते हैं, कुछ अन्य प्लाईवुड उद्योग, फर्नीचर निर्माण, ट्रक और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, तो कुछ धर्मकाँटा व्यवसाय में प्रवेश कर लेते हैं। कुछ लोग मध्यम आय अर्जन के लिए छोटे स्तर पर ठेकेदारी व्यवसाय तथा ट्रेक्टर इत्यादि से लकड़ी तथा इससे सम्बन्धित वस्तुओं का ढुलान कार्य करने लगते हैं। जबकि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, वे लोग ठेला चलाकर सामान इधर से उधर ढोने का कार्य करने लगते हैं। ये लोग अधिकतर जलाऊ लकड़ी या आरा मिलों से चिरी हुई लकड़ी को विभिन्न स्थानों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। कुछ लोग मजदूरों के रूप में लटठों को ट्रकों या ट्रैक्टरों में लादने तथा उतारने का कार्य करते हैं। कुछ लोग आरा मिलों पर चिरान करने की मजदूरी करते हैं। कुछ लोग श्रमिकों के रूप में कृषकों के यहाँ पेड़ कटाई का कार्य करते हैं। इस प्रकार लकड़ी व्यापार तथा इससे सम्बन्धित व्यवसायों में धनी, मध्यम तथा निम्न आय वर्गों के व्यक्ति संलग्न हैं।

बाँस व्यवसाय

बाँस का प्रयोग ढूले, सीढ़ी, छप्पर की सीलिंग, मच्छर दानी, मछली मारने की स्टिक, चारपाई, फावड़े के जस्ते, डिजायनर हट्स, टेबल, वॉल, रूफ, सीलिंग, तम्बू तथा मुर्गीपालन से सम्बन्धित वस्तुओं के निमार्ण में किया जाता है। बांस को यहाँ के व्यापारी उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर, असम तथा बिहार राज्य से लाते हैं।

ट्रक व्यवसाय

जसपुर के लकड़ी व्यापार में लकड़ी के ढुलान के लिए ट्रक व्यवसाय बहुत महत्वपूर्ण है। जसपुर में विभिन्न प्रकार की लकड़ियों को लाने तथा तैयार माल को ले जाने के लिए ट्रकों की बहुत आवश्यकता होती है। इस हेतु यहाँ पर ट्रक या ट्रांसपोर्ट व्यवसाय का बहुत विकास हुआ है। इसके लिए यहाँ एक ट्रक यूनियन भी संचालित है, जिसमें वर्ष 2022 में 165 ट्रक पंजीकृत हैं तथा 07 ट्रक बिना पंजीकरण के भी संचालित हैं। ये ट्रक लकड़ियों को बिहार, बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात तथा दिल्ली के साथ–साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों को ले जाते हैं, तथा कुछ राज्यों से लकड़ी को जसपुर लेकर भी आते हैं। यह व्यवसाय लकड़ी व्यापार की रीढ़ है। जिसके बिना इस व्यापार की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके साथ–साथ ट्रैक्टरों के माध्यम से भी लकड़ियों का ढुलान किया जाता है। दूरदराज के क्षेत्रों को ट्रकों के माध्यम से तथा

आस–पास के क्षेत्रों को ट्रैक्टरों के माध्यम से ढुलान होता है। अगर लकड़ी की मात्रा कम होती है तो ट्रैक्टरों का प्रयोग किया जाता है, मात्रा अधिक होने पर ट्रकों का। जसपुर मे कई व्यापारियों के पास 20 से अधिक ट्रक हैं। कोरोना के कारण यहाँ ट्रकों की संख्या घटी है। नहीं तो यहाँ ट्रकों की संख्या 300 से अधिक थी।

प्लाईवुड उद्योग

लकड़ी व्यापार पर आधारित उद्योगों में प्लाईवुड उद्योग भी है, इस उद्योग का श्री जसपुर, काशीपुर तथा रामनगर में काफी विकास हुआ है। जसपुर, काशीपुर तथा रामनगर के निकटवर्ती क्षेत्रों में वनों का काफी विकास है। इसके अतिरिक्त कृषक भी काफी मात्रा में वृक्षारोपण करते हैं। इसीलिए इन क्षेत्रों में प्लाईवुड इंडस्ट्री का विकास हुआ है। इसी के परिणाम स्वरूप प्लाईवुड विक्रय की काफी दुकाने भी इन नगरों में खुल गयी हैं, जो न केवल इन नगरों की, बल्कि आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों की भी आवश्यकतायें पूरी करती हैं। इस व्यवसाय में काफी लाभ है। इन दुकानों में प्लाईवुड की शीट के साथ–साथ सनमाइका का विक्रय किया जाता है। इसमें काफी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है।

दरवाजा उद्योग

लकड़ी व्यवसाय पर आधारित एक अन्य उद्योग दरवाजा उद्योग भी है। इस क्षेत्र में लकड़ी की प्रचुरता के कारण दरवाजा और विंडो व्यवसाय भी काफी विकसित हो गया है। यह व्यवसाय काफी कम भूमि पर ही संचालित हो जाता है। इसको 300–400 वर्ग गज मे ही स्थापित किया जा सकता है। 15–20 लाख की धनराशि होने पर भी इस व्यवसाय या उद्योग को प्रारंम्भ किया जा सकता है। इस क्षेत्र में दरवाजों तथा विंडों की मांग भी काफी अधिक है। दूसरे यहाँ ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के विकास के कारण यहाँ पर निर्मित दरवाजों और विंडों को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के कई नगरों को विक्रय हेतु भेजा जाता है। यहाँ वर्तमान में डिजायनर दरवाजे भी निर्मित होने लगे हैं। जिनकी मांग काफी अधिक है। ये परम्परागत दरवाजों की तुलना में सस्ते भी पड़ते हैं। यह व्यवसाय लोगों को रोजगार का एक उत्तम साधन भी उपलब्ध कराता है।

लकड़ी व्यापार के अलग–अलग आय वर्गों के लोगों के सामाजिक जीवन का विवेचन

लकड़ी तथा इससे सम्बन्धित व्यवसायों को करने वाले अलग–अलग आय वर्गों के लोगों का सामाजिक जीवन भी अलग–अलग होता है। ट्रांसपोर्ट तथा ट्रक व्यवसाय करने वाले लोग धनाढ्य वर्ग के लोग हैं। जो अपेक्षाकृत उच्च जीवन जीते हैं। जबकि इन ट्रकों को चलाने वाले निर्धन लोग हैं, जिन्हें अपने पालन पोषण के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसी प्रकार लकड़ी व्यापार को बड़े स्तर पर करने वाले लोग तथा प्लाईवुड और दरवाजा उद्योग को करने वाले लोग भी धनाढ्य होते हैं। जो उच्च सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ मध्यम स्तर पर भी लकड़ी व्यापार करते हैं, जबकि ठेला तथा लकड़ी ढोने वाले निम्न आय वाले बड़ी मुश्किल से अपना जीवन गुजर बसर कर पाते हैं। ये अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों मे भी नहीं पढ़ा पाते। इनकी सोच भी बड़ी संकुचित होती है। ये लोग साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रख पाते। कई बार इस वर्ग के लोग धनाभाव के कारण चोरी जैसे अनैतिक कार्यों मे भी संलग्न हो जाते हैं। ट्रकों के लिए मोटर पार्ट्स की दुकानें चलाने वाले लोग मध्यम आय वर्ग के हैं।

लकड़ी व्यापार के पर्यावरणीय तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी दुष्प्रभाव

लकड़ी व्यवसाय में काम आने वाली आरा मिलों के द्वारा अत्यधिक शोर तथा वायु प्रदूषण होता है। लकड़ी चिरान के समय बहुत अधिक बारुदा निकलता है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल

प्रभाव पड़ता है। इसमें कार्य करने वाले लोगों तथा आस पास रहने वाले लोगों को श्वांस तथा फेफड़े से सम्बन्धित बीमारियां हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त आरा मिलों से शोर प्रदूषण भी होता है। स्थानीय समीपवर्ती रहने वाले लोगों को अत्यधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थी शोर के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते। पूरे क्षेत्र में धूल का गुबार छाया रहता है, जो आस पास की दुकानों, ठेलों तथा फड़ों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों को खराब कर देता है। लकड़ी ढुलान में काम आने वाले परिवहन साधनों से भी कार्बन मोनो ऑक्साइड तथा धुआँ निकलता रहता है, जो पर्यावरण प्रदूषण को जन्म देता है, साथ ही उनसे शोर प्रदूषण भी होता है।

लकड़ी व्यापार का एक दुष्प्रभाव ये भी है कि जसपुर, काशीपुर, रामनगर, कालाढूंगी, हल्द्वानी, टनकपुर, हरिद्वार तथा देहरादून के निकटवर्ती क्षेत्रों में काफी सघन वन तथा कॉर्बेट एवं राजाजी नेशनल पार्क का संरक्षित भाग है, जहाँ से लकड़ी तस्कर बहुमूल्य लकड़ियों का अवैध कटान कर लेते हैं। कई बार पशुओं का भी शिकार कर लेते हैं, जो पर्यावरण और जलवायु को अत्यधिक क्षति पहुँचाता है, तथा सरकार को भी करोड़ों रुपयों की हानि हो जाती है। कई बार वन विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी भी इन अवैध क्रियाओं में शामिल होते हैं। हालांकि शासन और वन विभाग की ओर से ऐसे कार्यों के लिए कठोर सजाओं और आर्थिक दंड का प्रावधान है।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवेचन के उपरांत यदि निष्कर्ष रूप में देखा जाये तो, कहा जा सकता है कि जसपुर का लकड़ी व्यापार न केवल जसपुर नगर की आर्थिकी को मजबूत करता है, बल्कि देश के विभिन्न भागों की लकड़ी तथा इससे जुड़ी अन्य सामाग्रियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। ये लकड़ी व्यापार के साथ–साथ अन्य व्यवसायों को भी आधार प्रदान करता है। इस व्यापार का स्रोत जसपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाले बहुमूल्य वन हैं। जहाँ से विभिन्न कारणों से टूट गए वृक्षों को नीलामी द्वारा देश के अन्य भागों के साथ–साथ जसपुर के व्यापारियों को विक्रय कर दिया जाता है। यह व्यापार जहाँ विभिन्न लोगों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का साधन बनता है, वहीं इसके द्वारा पर्यावरण तथा समाज के लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी हानियाँ भी पहुँच रही हैं। अतः हमें इस व्यापार में कुछ सुधारों की आवश्यकता है। हमें वन विभाग के नियमों एवं कानूनों तथा पर्यावरण के मानकों को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा, जिससे हम आर्थिक के साथ–साथ पर्यावरण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सबलता भी प्राप्त कर सके। अनुचित प्रकार से वृक्षों का अवैध कटान और पशुओं की निर्मम हत्याओं पर अंकुश भी लग सके। सरकारों को भी इस ओर ध्यान देना होगा, कि किस प्रकार से योजनायें निर्मित की जाएं जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही आर्थिक प्रगति हो और सरकार को भी अधिकाधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके।

संदर्भ

1. (2005). ''भारतीय वन अधिनियम 1927 यथा संशोधित 1980'' नटराज पब्लिशर्सः देहरादून. ISBN 978.81.8158.152.5. द्वितीय संस्करण 2011. पृष्ठ **186.**
2. (2006). ''वृक्षारोपण संहिता'' वन विभाग, उत्तरॉचल. भारत कार्ड्स एंड प्रिंटर्सः हल्द्वानी. पृष्ठ **146.**
3. उत्तराखंड वन सांख्यिकी. (2016–17). वन विभाग उत्तराखंड. लायन प्रिन्टिंग प्रेसः देहरादून. पृष्ठ **212.**

4. मिश्रा, रामनाथ. (1995). ''वन विधियाँ, केंद्र एवं राज्य सरकार'' द्वितीय हिंदी संस्करण. हिन्द पब्लिशिंग हाउसः इलाहाबाद. पुनः मुद्रित 1996,1997,1998,1999. मुद्रक, सरस्वती ऑफ सेट प्रिंटर्स, इलाहाबाद, पृष्ठ **674.**
5. Champion, H.G., Seth, S.K. (1968). "A revised survey of forest types of India." Govt. of India publication.
6. (1911). "Gazetteer of The Rampur State." printed by W.C., Abel, offg.supdt. Govt. press: Allahabad. A.D. **Pg. 124.**
7. "Gazetteer of India, Uttar Pradesh, Rampur District". Lucknow. **Pg. 885.**
8. Gopal, Rajesh. (2012). "Fundamentals of wildlife management". 2nd edition. Natraj Publishers: Dehradun. **Pg. 1295.** ISBN 978-81-8158-162-4.
9. Joshi, Pramod. (2004). "Dev Bhoomi ki Divya Oshadhiya". Gyanodya publications: Nainital.
10. Pande, P.C., Pokhriyal, D.C., Bhatt, J.C. (1999). "Kumaun Himalaya ka Lokvanaspati Vigyan". scientific publishers: Jodhpur (India).
11. Shah, Rakesh. (2006). "Nature"s Medicinal Plants of Uttaranchal". VOL. 2nd. Gyanodya Prakashan: Nainital. ISBN: 81-85097-71-2. **Pg. 660.**